[2022] 10 एस. सी. आर 1

वेसल एम. वी. में रुचि रखने वाले मालिक और पार्टियां

पोलारिस गैलेक्सी

वी.

बैंक कैंटोनेल डी जेनेवा

(सिविल अपील सं। 6897-6898 2022 का)

23 सितंबर, 2022

[इंदिरा बनर्जी और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

नौसेना (समुद्री दावों का अधिकार क्षेत्र और निपटान)

अधिनियम, 2017 - धारा 14-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या 1 आर। 10 (2) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015-क्या कोई अपील

के आदेश से उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग

उसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) के लिए एडमिरल्टी द्वारा शासित एडमिरल्टी सूट में एक पक्ष को जोड़ना

अधिनियम-आयोजितः नहीं-किसी पक्ष को जोड़ने का आदेश यू/या 1 आर। 10 (2) सी. पी. सी. का यू/एस अपील योग्य नहीं है। 14 नौसेना अधिनियम-समुद्री

कानून।

नौसेना (समुद्री दावों का अधिकार क्षेत्र और निपटान)

अधिनियम, 2017-एसएस। 12 , 14 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या। 1 आर. 10 (2) , Or.43 r. 1 - वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 - एस. 13-की व्याख्या

क़ानून-सामंजस्यपूर्ण निर्माण-आयोजितः नौसेना का एस. 14

अधिनियम में नौसेना अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के किसी भी निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ में अपील करने का प्रावधान है -

" किसी भी अंतरिम आदेश को "या" के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। 43 , आर. 1 में से

एस को देखते हुए सी. पी. सी. 12 नौसेना अधिनियम आर/डब्ल्यू एस। 13 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम-यह अधिनिर्णय का इरादा नहीं है

एस का प्रावधान। 14 एस को रद्द करने के लिए। 12 नौसेना अधिनियम - नौसेना अधिनियम की धारा 12 उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों पर लागू होती है चाहे वे मूल कार्यवाहियां हों या अपीलीय कार्यवाहियां।

ए. पर

एस. एस. का सामंजस्यपूर्ण पठन। 12 और नौसेना अधिनियम की धारा 14 के साथ। 13 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, के तहत एक अंतर-न्यायालय अपील

उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के लिए नौसेना अधिनियम नौसेना अधिनियम के तहत किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या नौसेना अधिनियम के तहत एक अंतरिम आदेश से संबंधित होगा जो या में निर्दिष्ट आदेशों से संबंधित होगा। 43 , आर. 1-यह संभवतः नहीं हो सकता था

सभी अंतरिम आदेश देने के लिए नौसेना अधिनियम का विधायी इरादा

[2022] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील योग्य-"अंतरिम आदेश" अभिव्यक्ति की इस तरह की व्यापक व्याख्या का मतलब यह होगा कि कोई भी पक्ष शपथ पत्र और इसी तरह के समुद्री कानूनों के लिए असंगत आदेशों से भी अपील दायर करके परीक्षण और अंतिम निपटान में देरी करने में सक्षम होगा।

बिल ऑफ लेडिंग-कॉन्सेप्ट ऑफ-लॉ गवर्निंग बिल ऑफ लेडिंग

चर्चा की।

क़ानूनों की व्याख्या-दो या दो में गैर-अवरोधक खंड

अधिक कानून-आयोजितः एक सामान्य नियम के रूप में, विशेष क़ानून सामान्य क़ानूनों पर प्रबल होते हैं-यदि दोनों क़ानून सामान्य क़ानून हैं या

समान या समान अबाधित खंडों वाले विशेष क़ानून, बाद का क़ानून प्रबल होगा-हालाँकि, यह नियम कि बाद के क़ानून में एक अबाधित खंड पहले के क़ानून में अबाधित खंड पर प्रबल है, एक पूर्ण नियम नहीं है-किसका सवाल

प्रावधान प्रचलित है, यह अनिवार्य रूप से अधिनियम के उद्देश्य और विशेष रूप से, अधिनियम या उसके किसी विशिष्ट प्रावधान को प्रबल प्रभाव देने के उद्देश्य पर निर्भर करेगा-जब एक ही क्षेत्र में काम करने वाले दो या दो से अधिक अधिनियमों में एक गैर-अबाधित खंड होता है जिसमें कहा गया है कि इसके प्रावधान किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे, तो संघर्ष को अधिनियमों के अंतर्निहित उद्देश्य और नीति पर विचार करने पर हल किया जाना चाहिए।

गैर-अपमानजनक।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 - धारा 2 (1) (सी) (iii)-आयोजितः नौसेना और समुद्री कानून से संबंधित मुद्दों से उत्पन्न होने वाला विवाद

एस में परिभाषित वाणिज्यिक विवाद। 2 (1) (ग) (iii) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम-समुद्री कानून।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 नौसेना अधिनियम की धारा 12 लागू होती है -

उच्च न्यायालय में सभी नौसेना कार्यवाही के लिए सी. पी. सी. के प्रावधान। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 16 में यह स्पष्ट किया गया है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की अनुसूची द्वारा संशोधित सी. पी. सी. के प्रावधान वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा शासित वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मुकदमों पर लागू होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के पास किसी भी आवेदन के बिना, अपने दम पर, नौसेना के मुकदमे में किसी पक्ष को जोड़ने की शक्ति है,

यदि इसका विचार है कि अदालत के समक्ष उस पक्ष की उपस्थिति अनिवार्य हो सकती है ताकि वेसल एम. वी. पोलरिस गैलेक्सी V. में निहित मालिकों और दलों को प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सके।

बैंक कैंटनल डी जेनेवा

और मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर पूरी तरह से निर्णय लें और उनका निपटारा करें। सवाल यह है कि क्या वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का आदेश, एक पक्ष को नौसेना के मुकदमे में जोड़ना, धारा के तहत अपील योग्य है।

13 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, जिसे नौसेना अधिनियम की धारा 14 के साथ पढ़ा जाता है। [पारस 61,62] [27-बी-डी]

1.2 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 और नौसेना अधिनियम की धारा 14 दोनों में गैर-अवरोधक खंड हैं जो धाराओं को प्रबल प्रभाव देते हैं। जबकि नौसेना अधिनियम की धारा 14, जो एक गैर-निषेध खंड के साथ शुरू होती है, जैसा कि देखा गया है, यह प्रावधान करती है कि कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून में निहित होने के बावजूद, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के नौसेना अधिनियम के तहत किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ में अपील की जाएगी, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (2) में कहा गया है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या उच्च न्यायालय के पेटेंट पत्र में कुछ भी निहित होने के बावजूद, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के अलावा किसी भी वाणिज्यिक विभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी भी आदेश या डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। प्रावधान

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत अपील को ऐसे आदेशों तक सीमित करता है जो विशेष रूप से सी. पी. सी. के आदेश 43 में उल्लिखित हैं। [पैरा 67] [29-एफ-एच] [30-ए-बी]

1.3 "कुछ भी होने के बावजूद" शब्दों के साथ एक खंड

उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित "को आम तौर पर किसी धारा की शुरुआत में जोड़ा जाता है ताकि किसी अन्य कानून के साथ टकराव के मामले में धारा के अधिनियमित हिस्से को प्रबल प्रभाव दिया जा सके। आम तौर पर, जब दो या दो से अधिक क़ानूनों में वैधानिक प्रावधान होते हैं जो खंड से शुरू होते हैं "कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद" और उन क़ानूनों में परस्पर विरोधी प्रावधान होते हैं, तो एक सवाल जो उत्पन्न हो सकता है, वह यह है कि कौन सा क़ानून प्रबल होगा। एक सामान्य नियम के रूप में, विशेष क़ानून सामान्य क़ानूनों पर हावी होते हैं। यदि दोनों क़ानून सामान्य क़ानून या समान या समान गैर-अबाधित खंडों वाले विशेष क़ानून हैं, तो बाद का क़ानून प्रबल होगा। यह नियम कि बाद के क़ानून में एक गैर-अड़चन खंड पहले के क़ानून में गैर-अड़चन खंड पर प्रबल है, एक पूर्ण नियम नहीं है। यह सवाल कि कौन सा प्रावधान प्रचलित है, अनिवार्य रूप से [2022] 10 एस. सी. आर. होगा।

यह अधिनियमन के उद्देश्य और विशेष रूप से, अधिनियम या किसी विशिष्ट अधिनियम को प्रबल प्रभाव देने के उद्देश्य पर निर्भर करता है।

उसका प्रावधान। जब एक ही क्षेत्र में काम करने वाले दो या दो से अधिक अधिनियमों में एक अबाधित खंड होता है जिसमें कहा गया है कि इसके प्रावधान किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे, तो संघर्ष को अधिनियमों में अंतर्निहित उद्देश्य और नीति पर विचार करने पर हल किया जाना चाहिए। [पारस 68-70] [30-B-F]

एम. वी. एलिजाबेथ बनाम हरवन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (1993) 2 सप एस. सी. सी. 433-संदर्भित।

2.1 नौसेना और समुद्री कानून से संबंधित मुद्दों से उत्पन्न होने वाला विवाद एक वाणिज्यिक विवाद है जिसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) (iii) में परिभाषित किया गया है। नौसेना अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि आदेश

उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित नौसेना अधिनियम के तहत पारित किए गए आदेश ही एकमात्र ऐसे आदेश हैं जो नौसेना अधिनियम की धारा 14 के तहत अपील योग्य हैं, जबकि किसी मुकदमे के मुकदमे में पारित किए गए आदेश और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के तहत किए गए आवेदन पर नौसेना अधिनियम के तहत आदेश नहीं हैं, बल्कि सी. पी. सी. के तहत आदेश हैं जो केवल तभी अपील योग्य होंगे जब वे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 में दिए गए सी. पी. सी. के आदेश 43 के तहत आते हैं। दोनों ने नौसेना अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम विशेष अधिनियम हैं। यह मानते हुए भी कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधान हैं

अपीलों से संबंधित सामान्य प्रावधानों के रूप में माना जाता है, जबकि नौसेना अधिनियम के प्रावधानों को अपील के लिए विशेष प्रावधान माना जाता है, तब भी मैक्सिम जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन डेरोगेंट, जो आमतौर पर एक विशेष और एक सामान्य क़ानून के बीच संघर्ष होने पर आकर्षित होता है, लागू नहीं होगा। [अनुच्छेद 73,78-80] [31-E-F; 33-E-G; 34-B-C]

अशोक मार्केटिंग लिमिटेड बनाम। पंजाब नेशनल बैंक (1990)

4 एससीसी 406: [1990] 3 एस. सी. आर. 649-अनुसरण किया गया।

कांडला निगम बनाम। ओ. सी. आई. कार्पोरेशन (2018) 14 एस. सी. सी. 715

: [2018] 1 एस. सी. आर. 915-पर निर्भर।

सीटीओ वी. बिनानी सीमेंट्स 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 140-- संदर्भित।

वेसल एम. वी. पोलारिस गैलेक्सी बनाम में रुचि रखने वाले मालिक और दल। बैंक कैंटोनेल डी जेनेवा

2.2 यदि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसा कोई आदेश

जो सी. पी. सी. के आदेश XLIII के तहत नहीं आता है, उसे अपील योग्य माना जाता है, तब वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा, और नौसेना के मुकदमे की सुनवाई के दौरान पारित प्रत्येक आदेश अधिनियम की धारा 14 के तहत अपील योग्य होगा। इस तरह के आदेश खोज, निरीक्षण, मामले के प्रबंधन के संबंध में आदेशों सहित बड़ी संख्या में होंगे।

सुनवाई, साक्ष्य की स्वीकार्यता, मुद्दों को तैयार करना,

पूछताछ आदि। यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम को लागू करने में संसद के इच्छित उद्देश्य का मजाक बनाएगा।

जो एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक मुकदमों में मुकदमों में तेजी लाने और अंतर्वर्ती अपीलों की संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए है। के लिए आदेश

सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत एक पक्ष को जोड़ना नौसेना अधिनियम की धारा 14 के तहत अपील योग्य नहीं है। गल्फ पेट्रोकेम विवाद और वाद लेन-देन और वहन अनुबंध (लेडिंग बिल) का एक पक्ष है और इसलिए एक आवश्यक पक्ष है। गल्फ पेट्रोकेम भी एक उचित पक्ष है जिसकी उपस्थिति आवश्यक है। मुकदमे में प्रश्नों पर पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए। अभियोग [पृष्ठ 264] के पैराग्राफ 10 से 12 में दलीलें जो पृष्ठ 11-13 पर विवादित निर्णय में निकाली गई हैं।

भले ही प्रतिवादी किसी भी राहत का दावा नहीं करने का विकल्प चुन सकता है वर्तमान मुकदमे में उनके खिलाफ। [पारस 81-83] [35-G-H; 36-A-E]

अनिल कुमार सिंह बनाम। शिवनाथ मिश्रा (1995) 3 एससीसी

147 : [1994] 5 पूरक। एस. सी. आर. 135-पर निर्भर।

नौसेना अधिनियम की धारा 12। नौसेना अधिनियम की धारा 12 उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों पर लागू होती है चाहे वे मूल कार्यवाहियां हों या अपीलीय कार्यवाहियां। एक सामंजस्यपूर्ण पर नौसेना अधिनियम की धारा 12 और 14 को धारा [2022] 10 एस. सी. आर. के साथ पढ़ना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, के तहत एक अंतर-न्यायालय अपील

उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के लिए नौसेना अधिनियम नौसेना अधिनियम के तहत किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या नौसेना अधिनियम के तहत एक अंतरिम आदेश से संबंधित होगा जो आदेश 43, नियम 1 में निर्दिष्ट आदेशों से संबंधित है। [पारस 84 86] [36-एफ-एच; 37-ए-बी]

2.4 यह संभवतः विधायी इरादा नहीं हो सकता था

सभी अंतरिम आदेशों को अपील योग्य बनाने के लिए नौसेना अधिनियम। "अंतरिम आदेश" अभिव्यक्ति की इस तरह की व्यापक व्याख्या का मतलब होगा कि कोई भी पक्ष अपील दायर करके मुकदमे और अंतिम निपटान में देरी करने में सक्षम होगा, यहां तक कि अप्रासंगिक आदेशों के लिए भी। शपथ पत्र और इसी तरह। इसलिए, हम मानते हैं कि नौसेना अधिनियम द्वारा शासित नौसेना के मुकदमे में किसी पक्ष को जोड़ने के लिए उसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) के आदेश से उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में अपील नहीं की जाती है। अन्यथा भी, डिवीजन बेंच ने वाणिज्यिक डिवीजन (एकल न्यायाधीश) के आदेश से अपील को अनुमति देने में कानूनी रूप से गलती की, जिसमें गल्फ पेट्रोलियम को मुकदमे में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया। [पारस 88,89] [37-डी-एफ]

चो यांग शिपिंग कंपनी लिमिटेड बनाम कोरल (यूके) लिमिटेड (1997)

2 लॉयड के प्रतिनिधि 641 का उल्लेख किया गया है।

मैजिक फ्रेम्स वी। रेडियंस मीडिया पी लिमिटेड 2019 एससीसी

ऑनलाइन मैड 38929-लागू नहीं होता है।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 1 एससीआर 915

उस पर भरोसा करें

पैरा

73

[1990] 3 एससीआर 649

पीछा किया।

पैरा

79

[1994] 5 पूरक। एससीआर 135

उस पर भरोसा करें

पैरा

82

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 6897

6898 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 28.10.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 के ओ. एस. ए. (सी. ए. डी.) सं. 88 और 2021 के सी. एम. पी. सं. 16921 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

वेसल एम. वी. पोलारिस गैलेक्सी बनाम में रुचि रखने वाले मालिक और दल। बैंक कैंटनल डी जेनेवा

के. वी. विश्वनाथन, प्रशांत एस. प्रताप, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अमिताभ मजूमदार, अरविंद कुमार गुप्ता, पबिता दत्ता, ऋषि भारद्वाज, अमर्त्य सरन, ए. सुमंत गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

जरीर भरुचा, आदित्य वर्मा, बिमल राजशेखर,

चंद्रशेखर हरिध, सुश्री प्रियंवदा मिश्रा, ऋग्वेद प्रसाद, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

इंदिरा बनर्जी, जे. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपील मद्रास में उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को पारित एक फैसले और आदेश के खिलाफ हैं, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर 2021 की वाणिज्यिक अपील को ओ. एस. ए. (सी. ए. डी.) No.88 होने की अनुमति दी गई है, और उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) द्वारा पारित 24 सितंबर 2021 के एक आदेश को दरकिनार करते हुए, प्रतिवादी द्वारा दायर नौसेना मुकदमे में गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया है, बैंक नेशनल डी जेनेव 2021 का सी. एस. (वाणिज्यिक प्रभाग) No.96 है।

3. अपीलार्थी, मेसर्स गैलेक्सी मरीन सर्विसेज लिमिटेड है

पोत के पंजीकृत मालिक, एम. वी. पोलारिस गैलेक्सी, एक समुद्र में जाने वाला तेल टैंकर, लाइबेरिया का झंडा फहराता है, जिसे इसके बाद "पोत" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

4. मेसर्स गैलेक्सी मरीन सर्विसेज के वाणिज्यिक प्रबंधकों के रूप में कार्य करते हुए मेसर्स पोलारिस मरीन सर्विसेज ने एक चार्टर पार्टी समझौता किया

ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत और सिंगापुर में स्थित एक प्रसिद्ध समुद्री कंपनी, विराना शिपिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक कंपनी, प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक. के साथ, प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक. को पोत के चार्टर के लिए।

समुद्री ईंधन तेल।

5. 6 मई 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफजेडसी ने भारत से 27-28,000 मीट्रिक टन (एमटी) समुद्री ईंधन की खरीद के लिए एक अनुबंध किया। ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई. ओ. सी.) जिसे फुजैराह में निर्वहन के लिए कांडला बंदरगाह पर लोड किया जाना था।

6. गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. ने उत्तरदाता, बैंक कैंटोनल डी जेनेव से अनुरोध किया, जिसे इसके बाद उत्तरदाता बैंक, [2022] 10 एस. सी. आर. के रूप में संदर्भित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. ओ. सी. से उक्त 27-28,000 एम. टी. समुद्री ईंधन तेल की खरीद का वित्तपोषण करना। गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. ने उत्तरदाता को सूचित किया कि समुद्री ईंधन तेल को फ़ुजैरा में वितरण के लिए अरामाको को बेच दिया गया था। क्रेडिट।

7. 11 मई 2020 के एक पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी बैंक ने गल्फ पेट्रोलियम एफजेडसी से दोनों के बीच बिक्री अनुबंध की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया।

इसके बाद, प्रत्यर्थी बैंक लेन-देन के वित्तपोषण के लिए सहमत हो गया। प्रत्यर्थी बैंक ने आई. ओ. सी. के पक्ष में 6,050 अमरीकी डॉलर, 000.00 के लिए ऋण पत्र जारी किया। लेटर ऑफ क्रेडिट में प्रावधान किया गया था कि यदि मूल लेडिंग बिल उपलब्ध नहीं थे, तो लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत भुगतान क्षतिपूर्ति पत्र के खिलाफ करना होगा। 9. 15 मई 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. ने प्रतिवादी बैंक से फुजैराह से सिंगापुर में निर्वहन बंदरगाह को बदलकर ऋण पत्र में संशोधन करने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी बैंक ने प्रस्तावित संशोधन पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे।

10. 15 मई 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. और अरामको ने अपने बिक्री अनुबंध में एक परिशिष्ट बनाया जिसमें से निर्वहन बंदरगाह को बदल दिया गया।

फुजैरा से सिंगापुर। 17 मई 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. ने बिक्री अनुबंध के लिए परिशिष्ट की एक प्रति प्रतिवादी बैंक को भेज दी। 18 मई 2020 को, प्रत्यर्थी बैंक ने फुजैराह से सिंगापुर में निर्वहन बंदरगाह को बदलकर ऋण पत्र में संशोधन किया।

11. 21 मई 2020 को पोत के स्वामी ने समुद्री ईंधन के कार्गो के संबंध में एक बिल ऑफ लेडिंग No.21052020/01 जारी किया। बिल ऑफ लेडिंग के संदर्भ में माल प्राप्तकर्ता प्रत्यर्थी बैंक था, 'अधिसूचना पक्ष' गल्फ पेट्रोकेम एफजेडसी था और निर्वहन बंदरगाह था

सिंगापुर। उक्त तिथि पर गल्फ पेट्रोलियम एफजेडसी ने मास्टर ऑफ वेसल को निर्देश दिया कि कार्गो को सिंगापुर के होराइजन टर्मिनल पर शेवरॉन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "शेवरॉन" के रूप में संदर्भित) को छोड़ा जाना चाहिए।

वेसल एम. वी. पोलारिस गैलेक्सी बनाम में रुचि रखने वाले मालिक और दल। बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

13. आई. ओ. सी. ने 27 मई 2020 को गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. को 5,985 अमेरिकी डॉलर का एक चालान जारी किया। आई. ओ. सी. और गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. के बीच बिक्री अनुबंध के संदर्भ में, उत्तरदाता बैंक ने सम्मानित किया क्रेडिट पत्र और आई. ओ. सी. को चालान के संदर्भ में देय राशि का भुगतान किया।

14. 31 मई 2020 को पोत सिंगापुर के बंदरगाह पर पहुंचा और निर्देशों के अनुसार अपनी तैयारी की सूचना दी।

गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. 2 जून 2020 को एक ईमेल के माध्यम से, गल्फ पेट्रोलियम एफजेडसी ने पोत से शेवरॉन को तैयारी की सूचना देने का अनुरोध किया माल के प्राप्तकर्ता होने के नाते। इसके बाद, 9 जून 2020 और 10 जून 2020 के बीच सिंगापुर के होराइजन टर्मिनल पर माल छोड़ा गया।

15. 11 जून 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफजेडसी ने अरामको के साथ एक बिक्री अनुबंध के तहत अरामको को 6,707 अमेरिकी डॉलर का चालान जारी किया। द. चालान की नियत तिथि 10 अगस्त 2020 यानी बिक्री अनुबंध के संदर्भ में सहमति के अनुसार भुगतान की तारीख से 60 दिन थी।

16. 15 जून 2020 को, गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. ने प्रतिवादी बैंक को गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. द्वारा अरामको को जारी किए गए चालान की एक प्रति प्रदान की। 20 जुलाई 2020 को गल्फ पेट्रोलियम एफजेडसी की मूल/होल्डिंग कंपनी होने के नाते जीपी ग्लोबल ग्रुप ने एक मीडिया बयान जारी किया

एफ. जेड. सी. और उसके कर्मचारी विभिन्न तरीकों और साधनों से अपीलार्थी सहित विभिन्न पक्षों को धोखा दे रहे थे। 18. प्रत्यर्थी बैंक ने पोत के स्वामी को एक पत्र भेजा जिसमें पी एंड आई क्लब और पंजीकृत मालिकों को एक प्रति चिह्नित की गई जिसमें कहा गया है कि नहीं

उत्तरदाता बैंक द्वारा देय तिथि पर भुगतान प्राप्त किया गया था जो माल की डिलीवरी के 60 दिन बाद है। इसलिए प्रत्यर्थी बैंक की सहमति के बिना कार्गो का निर्वहन नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस समय तक गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. द्वारा शेवरॉन को दिए गए निर्देशों के आधार पर माल को पहले ही छोड़ दिया गया था और वितरित कर दिया गया था।

19. अक्टूबर 2020 में, ऐसी खबरें आईं कि एक अन्य कंपनी, गल्फ पेट्रोल सप्लाईज एल. एल. सी. ने [2022] 10 एस. सी. आर. के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही दायर की थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. ईंधन तेल सहित परिष्कृत उत्पाद कार्गो के अनुबंधों के संबंध में धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है। यह आरोप लगाया गया था कि गल्फ पेट्रोलियम एफजेडसी ने पेट्रोलियम की आपूर्ति के लिए कई अनुबंध बनाए थे गल्फ पेट्रोल सप्लाईज एल. एल. सी. को उत्पाद और धोखाधड़ी/नकली चालान जारी किए थे।

20. 8 मार्च 2021 को, प्रत्यर्थी बैंक ने सी. एस. के रूप में एडमिरल्टी सूट की स्थापना की। (वाणिज्यिक प्रभाग) मद्रास उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के समक्ष 2021 का सं. 96। 21. उक्त नौसेना मुकदमे में दायर शिकायत में, प्रत्यर्थी बैंक ने निम्नलिखित अनुरोध कियाः

" 7. वादी प्रस्तुत करता है कि वर्तमान मुकदमे में उसका दावा बिल ऑफ लेडिंग के तहत आता है और माल की गलत डिलीवरी के लिए है। द. दावा नौसेना की धारा 4 (1) (च) के तहत एक समुद्री दावा है।

(समुद्री दावों का क्षेत्राधिकार और निपटान) अधिनियम, 2017 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित)। दावा प्रतिवादी पोत के मालिकों के खिलाफ है। प्रतिवादी पोत है

इस माननीय न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर। में।

जिन परिस्थितियों में वादी वर्तमान दाखिल करने का हकदार है

प्रतिवादी पोत के खिलाफ मुकदमा दायर करें और एक

इसके संबंध में प्रतिवादी पोत की गिरफ्तारी का आदेश

समुद्री दावा।

8. वादी मूल विधेयक का वैध धारक है।

लाडिंग नं. 21052020/01 दिनांक 21 मई 2020 द्वारा जारी किया गया

27 के परिवहन के लिए प्रतिवादी पोत का मालिक, 132.411

कांडला से सिंगापुर तक एम. टी. समुद्री ईंधन। 9. वर्तमान मुकदमे में केंद्रीय मुद्दा यह है कि मालिक

प्रतिवादी पोत ने अवैध रूप से और इसका उल्लंघन किया है

वादी से संबंधित माल को गलत तरीके से वितरित करने के दायित्व

लेडिंग का मूल बिल पेश किए बिना कोई और। इसलिए, प्रतिवादी पोत और या उसका मालिक धर्मांतरण के अत्याचार के लिए वादी के प्रति उत्तरदायी है। वादी अपने नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है। प्रतिवादी पोत का दायित्व एक बार स्थापित हो जाता है जब वादी यह प्रदर्शित करता है कि वह

माल के मूल बिल का वैध धारक बना हुआ है और प्रतिवादी पोत ने गैरकानूनी रूप से माल को वितरित किया है।

किसी और के लिए माल। हालाँकि, यह प्रदान करने के लिए उपयोगी हो सकता है

कुछ पृष्ठभूमि।

/ वेसल एम. वी. पोलारिस एक्सिस वी. में रुचि रखने वाले क्षेत्र और दल। बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

10. 8 मई 2020 को, एक गल्फ पेट्रोकेम एफजेडसी ("जीपी") ने एक लेनदेन के लिए वित्तपोषण की मांग करते हुए वादी से संपर्क किया

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ईंधन की खरीद।

(" आई. ओ. सी. एल.) और अरामको ट्रेडिंग फुजैराह एफ. जेड. ई. (अरामको) को समुद्री ईंधन की बिक्री। प्रस्तावित लेन-देन इस प्रकार थाः

ए। जी. पी. आई. ओ. सी. एल. से अमेरिकी डॉलर 220.5880 पर समुद्री ईंधन खरीदेगा।

प्रति एम. टी.

बी। जी. पी. समुद्री ईंधन पर आर्मको को यू. एस. डी. 246.726 पर बेचेगा।

प्रति एमटी

सी। कार्गो के लिए लोड पोर्ट कांडला होगा और

फुजैरा निर्वहन बंदरगाह होगा

डी। वादी जी. पी. द्वारा आई. ओ. सी. एल. से ऋण पत्र के माध्यम से ईंधन की खरीद का वित्तपोषण करेगा ताकि जी. पी. माल की खरीद कर सके और इसे अरामको को बेच सके।

आगे की बिक्री के लिए खरीद मूल्य अरामको द्वारा वादी के साथ रखे गए जीपी के बैंक खाते में भेजा जाएगा।

11. जीपी द्वारा अरामको को बिक्री के तहत भुगतान की शर्तें थीं

खुले श्रेय पर होने के लिए यह देखते हुए कि अरामको एक तेल प्रमुख था। दूसरे शब्दों में, वादी अरामको के नाम पर भरोसा करेगा क्योंकि उसने उनसे देय भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में कभी चूक नहीं की है। में व्यक्त प्रासंगिक भुगतान शर्तें

अनुबंध में कहा गया हैः

" भुगतान 60 (छह) के भीतर किया जाना चाहिए।

इन्वॉयस की तारीख से कैलेंडर दिवस

(इनवॉइस तिथि = दिन 0) विक्रेता के इनवॉइस और सी. ओ. क्यू. की उपस्थिति के खिलाफ

गुणवत्ता] "।

12. इस संबंध में पक्षों के बीच समझ

सुरक्षा का पहलू इस प्रकार थाः

ए। इस बात पर सहमति बनी कि मूल बिल ऑफ लेडिंग

माल का प्रतिनिधित्व करने वाले द्वारा जारी किया जाएगा

वादी के आदेश पर जहाज का मालिक। द्वारा वित्तपोषित और भुगतान किए गए ईंधन के माल में स्वामित्व/संपत्ति

वादी वादी [2022] 10 एस. सी. आर. के साथ निहित होगा।

बी। अरामको से भुगतान करने के दायित्व से स्वतंत्र, वादी मूल बिल ऑफ लेडिंग का वैध धारक बना रहेगा और उसके तहत माल की डिलीवरी का हकदार होगा। , वादी के दावे के लिए सुरक्षा माल थी, यानी ईंधन ही। हालाँकि, जब तक वादी को आगे की बिक्री की पुष्टि नहीं मिल गई

अरामको, ईंधन के माल में स्वामित्व/संपत्ति मूल बिल ऑफ लेडिंग के वैध धारक होने के कारण वादी के पास निहित होगी।

11. उपरोक्त प्रस्तावित लेन-देन पर जी. पी. और वादी के बीच आगे ईमेल का आदान-प्रदान किया गया। जीपी ने 8 मई 2020 को वादी को दोनों के बीच अनुबंध प्रदान किया था।

यह (खरीदार के रूप में) और आई. ओ. सी. एल. (विक्रेता के रूप में)। 12 मई 2020 को, उपरोक्त समझ के आधार पर, वादी ने आईओसीएल के पक्ष में ऋण पत्र खोला। वहाँ कुछ थे

जीपी और अरामको के बीच अनुबंध में संशोधन, निर्वहन बंदरगाह के संबंध में-इसे फुजैराह से सिंगापुर में बदल दिया गया था। यह बात जी. पी. द्वारा 17 मई 2020 को वादी को बताई गई थी। साख पत्र में संबंधित संशोधन वादी द्वारा 18 मई 2020 को किया गया था।

***

13. संबंधित दस्तावेज जैसे माल ढुलाई का बिल,

वादी द्वारा खोले गए ऋण पत्र के तहत आई. ओ. सी. एल. द्वारा वाणिज्यिक चालान आदि पर बातचीत की गई थी। वादी ने तदनुसार जीपी के साथ वित्तीय समझौते के अनुसार आईओसीएल को भुगतान किया। लदान का बिल क्रम के अनुसार था

वादी। माल ढुलाई के बिल के आदेश के लिए बनाए जाने और माल ढुलाई के बिल के वैध धारक होने के कारण, वादी ने माल के संबंध में प्रतिवादी पोत के खिलाफ मुकदमे के अधिकार हासिल कर लिए, आगे का समर्थन लंबित है।

14. वादी चिंतित था, जब 10 अगस्त 2020 (यानी, अरामको के लिए माल के लिए भुगतान करने की समय सीमा) तेजी से करीब आ रही थी, तब भी इस तरह के किसी भी भुगतान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही माल की स्थिति के बारे में कोई खबर थी। यह इस तथ्य के बावजूद है कि माल ढुलाई के मूल बिल के कब्जे में होने के कारण, माल वाहक एम. वी. पोलारिस गैलेक्सी v.

बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

यदि माल के संबंध में कोई गड़बड़ी की गई होती तो उसे प्रतिवादी पोत के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार होता।

***

17. अब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी पोत ने डिलीवरी कर दी है

के उत्पादन पर जोर दिए बिना 10 अगस्त 2020 को या उसके आसपास अरामको या किसी अज्ञात तीसरे पक्ष को माल

लदान का मूल बिल। 11 जून 2020 को जी. पी. द्वारा अरामको पर 6,705 अमेरिकी डॉलर, 357.38 (लगभग आई. एन. आर. 49,07,04,087.89 (केवल उनतालीस करोड़, सात लाख, चार हजार और सत्तासी) (1 यू. एस. डी. = 73 आई. एन. आर.) की राशि के लिए एक चालान उठाया गया था। वादी को इसके बारे में बाद में पता चला जब एक धोखाधड़ी के दौरान

जीपी के खिलाफ जांच "।

22. 9 मार्च 2021 को मद्रास उच्च न्यायालय (एकल पीठ) के वाणिज्यिक प्रभाग ने पोत की गिरफ्तारी का एक एकतरफा आदेश पारित किया। इसके बाद, 26 मार्च 2021 को, प्रत्यर्थी बैंक ने निम्नलिखित संक्षिप्त निर्णय के लिए उक्त एडमिरल्टी मुकदमे में 2021 का एक आवेदन No.1494 दायर किया।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश XIV नियम 8 और आदेश XIIIA, जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित किया गया है (जिसे इसके बाद "वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

23. मद्रास उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) द्वारा पारित आदेशों के अनुसार,

अपीलार्थी, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी बैंक के दावे को सुरक्षित करने के लिए एक बैंक गारंटी प्रस्तुत की। इसके बाद, 6 जुलाई 2021 को, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग ने पोत की गिरफ्तारी के आदेश को खाली करने और पोत को बाहर निकलने की अनुमति देने का आदेश पारित किया।

24. 16 जुलाई 2021 को, अपीलार्थी ने प्रतिवादी द्वारा दायर 2021 के आवेदन संख्या 1494 के अंतरिम आवेदन पर अपना जवाब दाखिल किया। आदेश XIV नियम 8 और आदेश XIIA के तहत संक्षिप्त निर्णय के लिए बैंक

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता। अपने जवाब/काउंटर-एफिडेविट में, अपीलार्थी ने अनुरोध कियाः

" (के) वादी का ग्राहक गल्फ पेट्रोकेम जिस पर आरोप लगाया गया है

वादी को धोखा देना और धोखा देना और प्रदान करना

झूठे और धोखाधड़ी वाले दस्तावेजों के साथ वादी, जिसके आधार पर वादी द्वारा श्रेय दिया गया था, एक आवश्यक और/या उचित पक्ष है जिसकी उपस्थिति प्रभावी रूप से आवश्यक है

मुकदमे में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर निर्णय लें।

वादी को गल्फ पेट्रोकेम द्वारा किसी भी राशि का भुगतान किया गया है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे केवल परीक्षण में ही देखा जा सकता है और इसके लिए आवश्यक है

गल्फ पेट्रोकेम की उपस्थिति।

25. 13 अगस्त 2021 को, प्रत्यर्थी बैंक ने संक्षिप्त विवरण के लिए 2021 के उपरोक्त आवेदन No.1494 पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद और अभिलेख पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल एच) ने 24 सितंबर 2021 को एक आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया था किगल्फ पेट्रोलियम को मुकदमे में एक आवश्यक और उचित पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए बैंक आवश्यक कदम उठाएगा।

26. एकल पीठ ने अवलोकन किया और अभिनिर्धारित कियाः

" 6. पोत के मालिक/एकमात्र प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान और सामान्य काउंटर में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि निर्देशों पर, वादी के ग्राहक द्वारा जारी डिलीवरी आदेश के आधार पर सिंगापुर बंदरगाह पर माल की डिलीवरी की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, मूल बिल ऑफ लेडिंग की आवश्यकता नहीं है। दिनांकित ई-मेल संचार पर कार्य करना 21.05.2020 गल्फ पेट्रोकेम द्वारा, ग्राहक

वादी, प्रतिवादी ने सिंगापुर में माल पहुँचाया। वादी जीपी का वित्तपोषक होता है और प्रतिवादी जीपी का वाहक होता है। वादी माल का मालिक नहीं है। अतः गैर-सहयोगी और गलत सहयोगी के लिए मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए।

पार्टी को। यदि वादी के पास पैसे का कोई दावा है, तो उसे उल्लंघन के लिए अपने ग्राहक गल्फ पेट्रोकेम (जीपी) के खिलाफ आगे बढ़ना होगा।

अनुबंध का और समुद्री दावे के लिए मुकदमा नहीं। खिलाफ मुकदमा

वाहक जैसे कि यह एक समुद्री दावा है कानून का दुरुपयोग है।

7. सुना है। अभिलेखों का अध्ययन किया गया।

8. मुक़दमे के लेन-देन में, गल्फ पेट्रोकेम (जी. पी.), जो वादी का ग्राहक है, वह प्रमुख खिलाड़ी है जिसके निर्देश पर प्रतिवादी द्वारा सिंगापुर में सामान पहुँचाया गया है। आई. ओ. सी. एल. ने वादी द्वारा जारी एल. सी. के आधार पर जी. पी. को अमेरिकी डॉलर 6,050,000 में समुद्री ईंधन बेचा है। जी. पी. ने प्रतिवादी को माल परिवहन के लिए नियुक्त किया है। बिल ऑफ लेडिंग के अनुसार, माल की डिलीवरी सिंगापुर में की जानी है। प्रतिवादी ने प्रॉफिटेबल वेल्थ आई. एन. सी., सिंगापुर द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति पत्र दिनांक 24.05.2020 के आधार पर सिंगापुर बंदरगाह पर माल को छोड़ दिया है।

वेसेल एम. वी. पोलारिस गैलेक्सी बनाम में रुचि रखने वाले दस्तावेजी क्रेडिट ओपनिंग मालिकों और दलों में। बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

(एल. सी.) दिनांक 12.05.2020 वादी से उत्पन्न एक खंड है जो इंगित करता है कि मूल की अस्थायी रूप से अनुपलब्धता के मामले में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने पर कार्गो वितरित किया जा सकता है।

बिल ऑफ लेडिंग।

9. निवेदन किए गए दस्तावेजों और तथ्यों से, इस न्यायालय का विचार है कि गल्फ पेट्रोकेम (जी. पी.) जो वादी का ग्राहक है, मुकदमे में उचित और आवश्यक पक्ष है। जब तक कि

वादी जीपी को एक पक्षकार के रूप में शामिल करता है, उचित न्याय प्रदान करने के लिए मुकदमे पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

27. प्रत्यर्थी बैंक ने 24 सितंबर 2021 के उक्त आदेश के खिलाफ 2021 का ओएसए (सीएडी) No.88 होने के नाते एक अपील दायर की।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 13 (1) के तहत उच्च न्यायालय (खंड पीठ) का वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग। इस अपील में 28 अक्टूबर 2021 के फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय (खंड पीठ) के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग ने अपील को स्वीकार कर लिया और एकल पीठ (वाणिज्यिक प्रभाग) के फैसले और आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसमें अपीलार्थी पर रु. अपीलार्थी द्वारा अपील की स्थिरता पर उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया गया था।

28. पक्षकारों की दलीलें दर्ज करने के बाद, खंड पीठ ने टिप्पणी की और कहाः

" 12. वास्तव में, आक्षेपित आदेश आठ पैराग्राफ में फैला हुआ है। पहले पाँच प्रारंभिक पैराग्राफ हैं। छठे पैराग्राफ में, यह दर्ज किया गया है कि एकमात्र प्रतिवादी ने वादी और उसके ग्राहक द्वारा स्पष्ट रूप से जारी किए गए डिलीवरी आदेश के आधार पर सिंगापुर में माल की डिलीवरी की।

प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से मई के एक ई-मेल के आधार पर काम किया 21 , 2020 गल्फ पेट्रोकेम द्वारा जारी किया गया। निचली अदालत ने प्रतिवादी का तर्क दर्ज किया कि वादी ने लेन-देन का वित्तपोषण किया था और वादी माल का मालिक नहीं था और चूंकि माल का मालिक गल्फ पेट्रोकेम था जिसे शामिल नहीं किया गया था, इसलिए मुकदमा खारिज होने योग्य था।

13. इस तरह के विवाद को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला

आदेश के समर्थन में एकमात्र अनुच्छेद में निम्नानुसार हैः

" 8. मुक़दमे के लेन-देन में, गल्फ पेट्रोकेम (जी. पी.), जो वादी का ग्राहक है, प्रमुख खिलाड़ी है जिसका [2022] 10 एस. सी. आर.

निर्देश, माल प्रतिवादी द्वारा सिंगापुर में वितरित किया गया है। आई. ओ. सी. एल. ने वादी द्वारा जारी एल. सी. के आधार पर जी. पी. को अमेरिकी डॉलर 6,050,000 में समुद्री ईंधन बेचा है। जी. पी. ने प्रतिवादी को माल परिवहन के लिए नियुक्त किया है। बिल ऑफ लेडिंग के अनुसार, माल की डिलीवरी सिंगापुर में की जानी है। द.

प्रतिवादी ने प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक. सिंगापुर द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति पत्र दिनांक 24.05.2020 के आधार पर सिंगापुर बंदरगाह पर माल को छोड़ दिया है। वादी से उत्पन्न दस्तावेजी क्रेडिट ओपनिंग (एल. सी.) दिनांक 12.05.2020 में एक है

खंड जो इंगित करता है कि माल प्राप्त करने पर वितरित किया जा सकता है

मूल लेडिंग बिल की अस्थायी अनुपलब्धता के मामले में क्षतिपूर्ति।

***

18. यह पदार्थ एक बहुत ही छोटे कम्पास के भीतर आता है। प्राथमिक दस्तावेज़ विवादित नहीं है। लेन-देन के बिल में वादी नामित माल प्राप्तकर्ता है और प्रतिवादी द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है, विशेष रूप से, कि आम तौर पर यह माल प्राप्तकर्ता होगा जो माल के बिल द्वारा कवर किए गए माल की डिलीवरी प्राप्त करने का हकदार होगा। इस मामले में, यह भी देखा जा सकता है कि गल्फ पेट्रोकेम माल ढुलाई के बिल में उल्लिखित अधिसूचित पक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दस्तावेजों का बहुत महत्व है और अदालतों को दस्तावेजों के पत्र के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए।

अंतर्निहित या किसी आकस्मिक लेन-देन की प्रकृति का पता लगाने की कोशिश किए बिना। यदि यह आवश्यक है कि कोई वाहक अधिसूचित पक्ष के रूप में इंगित पक्ष को सूचित करे, तो इसका तात्पर्य यह है कि जहाज के आगमन की सूचना या माल के निर्वहन के लिए तैयारी की सूचना ऐसे पक्ष को दी जानी चाहिए, जिसके बाद ऐसा पक्ष माल ढुलाई का बिल प्रस्तुत करेगा और माल का निर्वहन प्राप्त करेगा। यह भी संभव है कि प्रेषक वाहक को अधिसूचित पक्ष के पक्ष में या किसी अन्य को माल जारी करने के लिए अधिकृत कर सकता है क्योंकि प्रेषक माल के बिल के तहत प्रेषक की पसंद के किसी भी पक्ष को डिलीवरी प्राप्त करने का अपना अधिकार सौंपने का हकदार है।

19. जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि केवल प्रेषक और प्रेषक ही निर्देश जारी कर सकते हैं या

किसी भी तीसरे पक्ष को लदान के बिल द्वारा कवर किए गए माल की डिलीवरी को अधिकृत करना।

वाहक वेसेल एम. वी. पोलारिस एक्सिस वी. में रुचि रखने वाले वी. एन. ई. आर. और दलों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

लेडिंग बिल के रूप में किसी भी तीसरे पक्ष के निर्देश या निर्देश, एक अर्थ में, कार्गो से संबंधित स्वामित्व का दस्तावेज है। और यह प्राथमिक है कि केवल माल का मालिक ही है जिसे माल को अलग करने या उसे स्थानांतरित करने का अधिकार है।

20. प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक. द्वारा जारी 24 मई, 2020 के पत्र में निहित था कि ऐसी इकाई के लिए वाहक को कुछ असामान्य या असामान्य करने की आवश्यकता होती है, और इस तरह, इस तरह के विचलन के दौरान वाहक को जोखिम के लिए उजागर करना। नतीजतन, वाहक को सामान्य प्रथा से भटकने के लिए प्रेरित करने के लिए, प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक. ने वाहक को क्षतिपूर्ति दी।

गैपाजामा ने वाहक को जारी किया होगा। ये निर्देश, चाहे वे गल्फ पेट्रोकेम या प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक. द्वारा जारी किए गए हों, वादी के किसी भी प्राधिकरण द्वारा समर्थित नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी और तीसरे पक्ष के बीच जो व्यवस्था हुई होगी, वह मुकदमे में और वादी के दावे के संदर्भ में कोई प्रासंगिकता नहीं हो सकती है। यहाँ।

21. शिकायत के पैराग्राफ 10 से 12 के कथनों के बारे में, कभी-कभी बहुत अधिक नहीं कहना बेहतर होता है। हालाँकि, अभिकथनों को वादी के दावे और प्रतिवादी के खिलाफ वादी की कार्रवाई के कारण तक एक कथा के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। कार्रवाई की योजना में और

प्रतिवादी वाहक के खिलाफ लेडिंग के बिल में मालवाहक के रूप में वादी का विशेष दावा, वादी और गल्फ पेट्रोकेम के बीच या गल्फ के बीच लेनदेन

पेट्रोकेम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या यहां तक कि गल्फ पेट्रोकेम और अरामको के बीच भी कोई प्रासंगिकता नहीं है। उस समय तक जब तक वादी का नाम प्रेषक के रूप में सामने आया लदान का बिल, प्रतिवादी केवल वादी को माल देने के लिए या वादी के आदेश के लिए बाध्य था।

वादी और प्रतिवादी, दूसरों द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर कार्य करने में वादी के अधिकार या लेन-देन के बिल के तहत वादी के दावे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

2] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. ऐसी परिस्थितियों में, गल्फ पेट्रोकेम इंक., जो हो सकता है

वादी द्वारा वित्तपोषित किया गया है क्योंकि विषय लेन-देन न तो आवश्यक है और न ही माल के वाहक के खिलाफ वाहन के अनुबंध के उल्लंघन के लिए और वाहक द्वारा वादी को माल देने में विफलता या वादी के आदेश के लिए वादी के सरल दावे के लिए एक उचित पक्ष है। उद्योग में वस्तुओं को जारी करना असामान्य नहीं है। एक
अजनबी का अनुरोध, लेकिन ठीक यही कारण है कि अजनबी वाहक को क्षतिपूर्ति करता है। यह अधिक संभावना है कि इकाई नहीं है

जिसने प्रतिवादी को माल का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया

सिंगापुर प्रतिवादी की पहुंच से बाहर हो सकता है; लेकिन वह हो सकता है

वादी के दावे का विरोध करने का बहाना न बनें। यह समान रूप से संभव है कि वादी ने प्रॉफिटेबल वेल्थ इंक. द्वारा जारी वितरण निर्देशों में सहमति व्यक्त की हो, लेकिन जब वादी ने ऐसा नहीं किया है, तो यह केवल संस्था द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति है।

कि प्रतिवादी पीछा कर सके।
23. इसमें की गई टिप्पणियों को इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए कि किस पर विचार करने की आवश्यकता थी और संक्षिप्त निर्णय के लिए आवेदन के शीघ्र निपटारे के क्रम में निचली अदालत के साथ अनुचित रूप से विचार नहीं किया जाना चाहिए।

जिसे वादी ने दायर किया है।

24. 24 सितंबर, 2021 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है। निचली अदालत से अनुरोध है कि वह आवेदन पर विचार करे

संक्षिप्त निर्णय और उसी के अनुसार निपटान

कानून के साथ जितनी जल्दी हो सके निचली अदालत का कार्य अनुमति देता है। 2021 के ओ. एस. ए. (सी. ए. डी.) No.88 की अनुमति ऊपर दी गई है। प्रतिवादी रुपये. 1,50,000/- CMP पर निर्धारित लागत का भुगतान करेगा।

2021 का No.16921 बंद है। ”

29. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दस्तावेज अत्यधिक मूल्यवान हैं और न्यायालयों को इन आधार पर आगे बढ़ना चाहिए -

डिवीजन बेंच द्वारा रखे गए दस्तावेज़। हालाँकि, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि न्यायालय को अंतर्निहित लेन-देन की प्रकृति का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। डिवीजन बेंच ने ठीक ही कहा कि जब कोई वाहक 'अधिसूचित पक्ष' के रूप में इंगित पक्ष को सूचित करता है, तो इसका मतलब यह है कि पोत के आगमन की

सूचना या निर्वहन के लिए तैयारी की सूचना। ऐसे पक्ष को माल दिया जाना चाहिए, जिसके बाद ऐसा पक्ष लेडिंग का बिल प्रस्तुत करेगा और माल का निर्वहन प्राप्त करेगा।

वेसल एम. वी. पोलारिस गैलेक्सी बनाम में रुचि रखने वाले मालिक और दल। बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

30. लदान के बिलों को नियंत्रित करने वाला कानून अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सामान्य कानून के नियमों का एक संयोजन है, जबकि चार्टर पार्टियां हैं

पूरी तरह से सामान्य कानून द्वारा शासित।

31. 1924 में बनाए गए बिल ऑफ लेडिंग से संबंधित कानून के कुछ नियमों के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और जिसे हेग नियमों के रूप में जाना जाता है, कार्गो के संबंध में वाहकों के दायित्व को नियंत्रित करता है।

32. 1968 में, हेग-विस्बी नियमों ने हेग नियमों का एक संशोधित संस्करण पेश किया, जिसमें संशोधन भी शामिल थे। द हेग-विस्बी नियम इन्हें समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 1971 द्वारा अंग्रेजी कानून में अधिनियमित किया गया है। हेग/हेग विस्बी नियमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से अपनाया गया था।

33. 1978 में, संयुक्त राष्ट्र ने समुद्र द्वारा माल के वहन पर एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में उभरने वाले नियम, जिन्हें हैम्बर्ग नियम के रूप में जाना जाता है, 1992 में लागू हुए। हालाँकि, दुनिया के प्रमुख व्यापारिक देशों द्वारा नियमों को स्वीकार नहीं किया गया था।

34. हेग/हेग-विस्बी समझौते को पूरी तरह से या आंशिक रूप से समुद्र द्वारा माल के अंतर्राष्ट्रीय वहन के लिए अनुबंधों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 2008 में अपनाने के लिए प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया था, जिसे रॉटरडैम नियमों के रूप में जाना जाता है। रॉटरडैम नियमों को भी समान रूप से लागू नहीं किया गया है।

35. आधुनिक अंग्रेजी कानून में, बिल ऑफ लेडिंग नियमों द्वारा संबोधित मामलों के संबंध में और अन्यथा सामान्य कानून के नियमों द्वारा हेग-विस्बी नियमों द्वारा शासित होते हैं।

36. बिल ऑफ लेडिंग एक प्रकार का परिवहन दस्तावेज है जिसका उपयोग समुद्र द्वारा या मालिक की ओर से, या कम सामान्य रूप से ले जाने वाले जहाज के चार्टर की ओर से माल की ढुलाई के संबंध में किया जा सकता है। लेडिंग बिल का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब किसी जहाज को एक सामान्य जहाज के रूप में नियोजित किया जाता है, जिसे किसी व्यक्ति के सामान को ले जाने के लिए एक विशेष यात्रा के लिए रखा जाता है।

37. लेडिंग बिल माल की मात्रा और स्थिति दोनों के संबंध में वाहक को सौंपे गए माल की रसीद के रूप में कार्य करता है।

प्राप्त हुआ। 38. एक बिल ऑफ लेडिंग अनुबंध की शर्तों के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। जैसा कि उस [2022] 10 एस. सी. आर. के तत्काल पक्षों के बीच है।

अनुबंध, अर्थात् वाहक और प्रेषक, बिल द्वारा प्रदान किया गया साक्ष्य निर्णायक नहीं है और बाहरी साक्ष्य द्वारा पूरक या यहां तक कि ओवरराइड किया जा सकता है। एक बार बिल स्थानांतरित हो जाने के बाद, बिल वाहक और नए धारक के बीच, अनुबंध की शर्तों के बारे में निर्णायक साक्ष्य प्रदान करता है। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि विधेयक में अनुबंध शामिल है।

39. अंत में, हेग-विस्बी नियम, जिसका प्रभाव समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम 1971 द्वारा अंग्रेजी कानून में दिया गया है, "माल के बिल या स्वामित्व के किसी भी समान दस्तावेज" द्वारा कवर किए गए परिवहन के अनुबंधों पर कानून के रूप में लागू होता है। यह कि एक अनुबंध का अनुबंध एक बिल ऑफ लेडिंग जारी करने पर विचार करता है, इसलिए, हेग-विस्बी नियमों के आवेदन को आकर्षित करने के लिए कार्य करता है।

40. कार्वर ऑन बिल्स ऑफ लेडिंग (2005) का कहना है कि एक बिल ऑफ लेडिंग एक दस्तावेज है जो माल के वाहक द्वारा या उसकी ओर से समुद्र मार्ग से माल को जारी किया जाता है।

व्यक्ति, (आमतौर पर शिपर के रूप में जाना जाता है) जिसके साथ उसने अनुबंध किया है माल की गाड़ी।

41. चार्टर पार्टीज एंड बिल्स ऑफ लेडिंग पर स्क्रूटन (1984) कहता है

यह कि "बिल ऑफ लेडिंग अनुबंध नहीं है, क्योंकि यह बिल ऑफ लेडिंग पर हस्ताक्षर करने और वितरित करने से पहले किया गया है, लेकिन यह अनुबंध की शर्तों का उत्कृष्ट प्रमाण है और एक समर्थनकर्ता के हाथों में है, एकमात्र सबूत है।"

42. लेडिंग बिल की तीन सामान्य विशेषताएं हैं (i) यह वाहक द्वारा भेजे गए या प्राप्त माल की रसीद का गठन करता है; (b) यह ऐसे माल के लिए स्वामित्व का दस्तावेज का गठन करता है; और (iii) इसमें माल से संबंधित समुद्र के माध्यम से परिवहन का अनुबंध शामिल है या सबूत देता है। 43. बिल ऑफ लेडिंग की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। सर रिचर्ड एकेंस के बिल ऑफ लेडिंग (2006) को उद्धृत करने के लिए, "एक हाथी की तरह, एक बिल ऑफ लेडिंग को आमतौर पर परिभाषित करने की तुलना में पहचानना आसान होता है"।

44. बिल ऑफ लेडिंग एक्ट की प्रस्तावना में बिल ऑफ लेडिंग को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि बिल ऑफ लेडिंग का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में लिखा है "जबकि

व्यापारियों की प्रथा है कि माल में संपत्ति के समर्थन द्वारा हस्तांतरणीय माल का लेडिंग बिल अंतर्वर्ती को पारित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी लेडिंग बिल में निहित अनुबंध के संबंध में सभी अधिकार मूल प्रेषक या मालिक में बने रहते हैं, और यह समीचीन है कि ऐसे अधिकार संपत्ति के साथ पारित किए जाने चाहिए; अक्सर ऐसा होता है कि जिन वस्तुओं के संबंध में लेडिंग बिल पर हस्ताक्षर किए जाने का तात्पर्य है, वे बोर्ड पर नहीं लादे गए हैं, और यह उचित है कि वे माल के मालिकों और दलों में ऐसे लेडिंग बिल जो वेसल एम. वी. पोलरिस गैलेक्सी v. में निहित हैं।

बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

45. लेडिंग बिल द्वारा कवर किए गए सामान की डिलीवरी आम तौर पर बिल पेश करने पर की जाती है। वाहक उत्तरदायी हो सकता है ऐसे विधेयक को कानूनी रूप से रखने वाला व्यक्ति, यदि वह गलत तरीके से प्रस्तुत करता है

46. जैसा कि चो यांग शिपिंग कंपनी लिमिटेड बनाम में देखा गया है। कोरल (यूके) लिमिटेड ', बिल ऑफ लेडिंग एक अनुबंध नहीं है, लेकिन यह अनुबंधों की शर्तों का उत्कृष्ट प्रमाण है। यह प्रेषक के लिए अनुबंध की सही शर्तों को दिखाने के लिए मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए खुला है। 47. जैसा कि डिवीजन बेंच ने कहा, इस अपील में दिए गए फैसले और आदेश में यह भी संभव है कि प्रेषक वाहक को अधिसूचित पक्ष या किसी अन्य पक्ष के पक्ष में माल जारी करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

दूसरी पार्टी। क्या प्रेषक अधिसूचित पक्ष या किसी अन्य पक्ष के पक्ष में माल को जारी करने के लिए अधिकृत है, प्रभावी रूप से गल्फ पेट्रोकेम की उपस्थिति में निर्णय लिया जा सकता है, जिसे बिल ऑफ लेडिंग में अधिसूचित पक्ष के रूप में दिखाया गया है।

48. यहां तक कि यह मानते हुए कि अकेले प्रेषक निर्देश जारी कर सकता है या लेडिंग बिल द्वारा कवर किए गए माल की डिलीवरी को अधिकृत कर सकता है, किसी को भी

तृतीय पक्ष, जैसा कि डिवीजन बेंच द्वारा देखा गया है, इस सवाल पर कि क्या प्रेषक ने शेवरॉन को लेडिंग बिल द्वारा कवर किए गए माल की डिलीवरी को अधिकृत करने के लिए कोई निर्देश जारी किए थे, अधिसूचित पक्ष की उपस्थिति में भी प्रभावी ढंग से निर्णय लिया जा सकता है। 49. वादपत्र में किए गए अभिकथनों को पढ़ने पर और विशेष रूप से, अनुच्छेद 10 से 12 जिस पर आक्षेप में संदर्भ दिया गया है।

निर्णय और आदेश, यह नहीं कहा जा सकता है कि गल्फ पेट्रोकेम, प्रतिवादी बैंक द्वारा वित्तपोषित कार्गो का मालिक, और अधिसूचित पक्ष जो प्रत्यर्थी बैंक के साथ-साथ वाहक और अन्य लोगों के साथ संवाद कर रहा था, कार्यवाही के लिए पूरी तरह से अजनबी था।

50. लेडिंग बिल में नामित माल प्राप्तकर्ता, आवश्यक रूप से माल का मालिक नहीं होना चाहिए। क्या प्रत्यर्थी बैंक के पास कुछ था

1 (1997) 2 लॉयड के प्रतिनिधि 641 [2022] 10 एस. सी. आर

गल्फ पेट्रोकेम द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के बारे में निर्णय मुकदमे में लिया जाना है। गल्फ पेट्रोकेम द्वारा दिए गए निर्देशों की तुलना गैपाजामा के काल्पनिक महाराजा द्वारा दिए गए निर्देशों से करना शायद बेतुका है।

51. अभियोग के पैराग्राफ 10 से 12 में किए गए कथनों को नोट करने और "बहुत अधिक न कहने के लिए बेहतर" टिप्पणी करने के बाद यह समझना मुश्किल है कि डिवीजन बेंच कैसे लागत लगा सकती थी

रु. 1,50,000/- अपीलार्थी पर, जिसने पक्षकार के रूप में गल्फ पेट्रोकेम को जोड़ने के लिए कोई औपचारिक आवेदन भी नहीं किया था। 52. हमारे विचार में, डिवीजन बेंच ने यह ठहराते हुए गलती की कि गल्फ पेट्रोकेम न तो आवश्यक था और न ही नौसेना के मुकदमे के लिए एक उचित पक्ष था। गल्फ पेट्रोकेम एक उचित पक्ष था, जिसकी उपस्थिति, जैसा कि ऊपर देखा गया है, मुकदमे में मुद्दे के प्रभावी निर्णय के लिए आवश्यक थी।

53. इन अपीलों में शामिल कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या नौसेना (समुद्री दावों का क्षेत्राधिकार और निपटान) अधिनियम, 2017 द्वारा शासित नौसेना के मुकदमे में एक पक्ष को जोड़ने के लिए उसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) के आदेश से उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में अपील की जाती है, जिसे इसके बाद "नौसेना अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाता है। 54. यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा पक्षकार को जोड़ने के लिए नौसेना के मुकदमे में पारित आदेश अपील योग्य है।

वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के लिए, जो प्रश्न आगे आएगा, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (खंड पीठ) को अपील की अनुमति देनी चाहिए थी और वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) के आदेश को दरकिनार कर देना चाहिए था जिसमें गल्फ पेट्रोलियम एफ. जेड. सी. को वाद में प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया था? 55. एडमिरल्टी एक्ट, जो उपरोक्त मुकदमे को नियंत्रित करता है, के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

" 3. नौसेना अधिकारिता-(1) धारा 4 और 5 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के तहत सभी समुद्री दावों के संबंध में अधिकारिता संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित होगी और इन सहित जल पर प्रयोग की जा सकती है।

अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के क्षेत्रीय जल में

इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार:

बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा,

उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार उस सीमा तक करना जिसमें वेसल एम. वी. पोलरिस ऐक्सी v. में निहित हित और पक्ष हों। बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 2 में परिभाषित। 4. समुद्री दावा। - (1) उच्च न्यायालय अभ्यास कर सकता है

किसी भी पोत के खिलाफ समुद्री दावे पर किसी भी प्रश्न को सुनने और निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र

***

(छ) किसी पोत पर माल या यात्रियों के परिवहन से संबंधित समझौता, चाहे वह किसी चार्टर पार्टी में हो या अन्यथा;

5. रेम में पोत की गिरफ्तारी। - (1) उच्च न्यायालय आदेश दे सकता है

किसी ऐसे पोत की गिरफ्तारी जो किसी समुद्री दावे के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उसके अधिकार क्षेत्र में है

नौसेना की कार्यवाही का विषय है, जहाँ अदालत के पास यह मानने का कारण है कि

(क) वह व्यक्ति जो उस समय पोत का मालिक था जब समुद्री दावा किया गया था, वह दावे के लिए उत्तरदायी है और जब गिरफ्तारी की जाती है तो वह पोत का मालिक होता है; या (ख) जिस समय समुद्री दावा किया गया था उस समय पोत का मृत्यु चार्टर दावा करने के लिए उत्तरदायी है और जब गिरफ्तारी की जाती है तो वह मृत्यु चार्टर या पोत का मालिक होता है।

प्रभावित; या

***

(2) उच्च न्यायालय समुद्री दावे के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसी अन्य जहाज की गिरफ्तारी का भी आदेश दे सकता है।

खंड (1): बशर्ते कि उपखंड (ए) के तहत समुद्री दावे के संबंध में इस उप-धारा के तहत किसी भी जहाज को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

धारा 4 की धारा (1)।

6. व्यक्तिगत रूप से नौसेना का अधिकार क्षेत्र। - धारा 7 के अधीन, उच्च न्यायालय में निर्दिष्ट किसी भी समुद्री दावे के संबंध में व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करके नौसेना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से खंड (डब्ल्यू)।

12. सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुप्रयोग। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधान उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों में लागू होंगे जहां तक कि वे इसके प्रावधानों के साथ असंगत या विपरीत नहीं हैं।

अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम।

XXXXX

14. अपील करें। - तत्काल प्रभाव से लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश के खिलाफ एक डिवीजन बेंच में अपील की जाएगी।

उच्च न्यायालय "।

56. ऊपर निर्दिष्ट नौसेना अधिनियम की धारा 12 को ध्यान में रखते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान, इसके बाद निर्दिष्ट किए गए हैं।

सी. पी. सी. के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष नौसेना अधिनियम के तहत सभी कार्यवाहियों पर लागू होगा, जहां तक कि वे नौसेना अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के साथ असंगत या विपरीत नहीं हैं।

57. सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 (2) में कहा गया हैः

" न्यायालय पक्षकारों को हटा सकता है या जोड़ सकता है। न्यायालय किसी भी स्थिति में

कार्यवाहियों का चरण, या तो उस पर या उसके बिना

किसी भी पक्ष का आवेदन, और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों, आदेश दें कि किसी भी पक्ष का नाम

अनुचित रूप से शामिल, चाहे वादी या प्रतिवादी के रूप में, रद्द किया जाए, और किसी भी व्यक्ति का नाम जिसे शामिल किया जाना चाहिए था, चाहे वादी या प्रतिवादी के रूप में, या जिसकी अदालत के समक्ष उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि अदालत को प्रभावी रूप से और पूरी तरह से निर्णय लेने और समझौता करने में सक्षम बनाया जा सके।

मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों को जोड़ा जाए।

58. आदेश 1 नियम 10 (2) और नौसेना अधिनियम के किसी भी प्रावधान के बीच कोई विसंगति नहीं होने के कारण, सी. पी. सी. का आदेश 1 नियम 10 (2) नौसेना अधिनियम द्वारा शासित मुकदमों और/या कार्यवाही पर लागू होगा। आदेश 1 नियम 10 (2) न्यायालय को कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को पक्षकार के रूप में जोड़ने में सक्षम बनाता है, चाहे वह कोई भी हो। उसके समक्ष कोई

आवेदन है, यदि न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है, ताकि न्यायालय प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय ले सके और मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों का निपटारा कर सके। आदेश I नियम 10 (2) के उद्देश्यों में से एक कार्यवाही की बहुलता से बचना है।

वेसल एम. वी. पोलारिस गैलेक्सी बनाम में रुचि रखने वाले मालिक और दल। बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंदिरा बनर्जी, जे.]

59. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, इसकी प्रस्तावना के अनुसार, वाणिज्यिक न्यायालयों के गठन का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के लिए, निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए।

60. ' वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (सी) में वाणिज्यिक विवाद को नौसेना से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है और

समुद्री कानून। इस अपील में शामिल मुद्दों से संबंधित वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7,13,14,16 और 21 नीचे दी गई हैं:

" 7. उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभागों की अधिकारिता। —

वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सभी मुकदमे और आवेदन

उच्च न्यायालय में दायर एक निर्दिष्ट मूल्य जिसमें साधारण

मूल नागरिक अधिकारिता की सुनवाई और निपटान इसके द्वारा किया जाएगा

उस उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक प्रभाग: बशर्ते कि वाणिज्यिक विवादों से संबंधित सभी वाद और आवेदन, जो किसी अधिनियम द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि वे जिला न्यायालय से कमतर न्यायालय में हैं और जो उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में दायर या लंबित हैं, की सुनवाई और निपटान उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक प्रभाग:

बशर्ते कि सभी मुकदमे और आवेदन हस्तांतरित किए जाएं।

डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 22 की उप-धारा (4) या पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 104 के आधार पर उच्च न्यायालय की सुनवाई और निपटान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा उन सभी क्षेत्रों में किया जाएगा जिन पर उच्च न्यायालय सामान्य मूल का प्रयोग करता है।

नागरिक अधिकार क्षेत्र। 13. वाणिज्यिक न्यायालयों के आदेशों से अपील और

वाणिज्यिक प्रभाग। — 20 [(1) वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति

जिला न्यायाधीश वाणिज्यिक अपील में अपील कर सकता है।

निर्णय की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय

या आदेश दें।

(1 - ए) किसी के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति

जिला न्यायाधीश के स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय

मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र या, जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक

उच्च न्यायालय का प्रभाग वाणिज्यिक [2022] 10 एस. सी. आर. में अपील कर सकता है।

निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर उस उच्च न्यायालय का अपीलीय प्रभागः

बशर्ते कि एक अपील एक वाणिज्यिक प्रभाग या एक वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों से होगी जो हैं इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XLIII और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 37 के तहत विशेष रूप से गणना की गई है।]

(2) तत्काल लागू किसी अन्य कानून या उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार के अलावा किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी भी आदेश या डिक्री से कोई अपील नहीं होगी।

14. अपीलों का शीघ्र निपटान। — द कमर्शियल

अपीलीय न्यायालय और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग ऐसी अपील दायर करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उसके समक्ष दायर अपीलों का निपटारा करने का प्रयास करेंगे।

XXXXX

16. वाणिज्यिक विवादों पर इसके अनुप्रयोग में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन। - (1) के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी भी वाद पर अपने आवेदन में, अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से संशोधित होगी।

(2) वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में मुकदमे के मुकदमे में इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों का पालन करेंगे।

(3) जहां राज्य सरकार द्वारा अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के किसी नियम का कोई प्रावधान या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में कोई संशोधन, इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के साथ टकराव में है, वहां इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान प्रबल होंगे।

21. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। — अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव होगा, भले ही वेसल एम. वी. पोलरिस गैलेक्सी v. में निहित स्वामियों और दलों की रुचि हो।

बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत

तत्काल प्रभाव में या इस अधिनियम के अलावा तत्काल प्रभाव में किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज में।

61. जैसा कि ऊपर देखा गया है, नौसेना अधिनियम की धारा 12 लागू होती है।

उच्च न्यायालय में सभी नौसेना कार्यवाही के लिए सी. पी. सी. के प्रावधान। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 16 यह स्पष्ट करती है कि सी. पी. सी. के प्रावधान, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की अनुसूची द्वारा संशोधित किए गए हैं। न्यायालय अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा शासित वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मुकदमों पर लागू होता है।

62. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के पास किसी भी आवेदन के बिना, अपने दम पर, नौसेना के मुकदमे में एक पक्ष को जोड़ने की शक्ति है, यदि इसका विचार है कि

मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने और उनका निपटारा करने के लिए न्यायालय के समक्ष उस पक्ष की उपस्थिति आवश्यक हो सकती है। सवाल यह है कि क्या वाणिज्यिक न्यायालय का आदेश या उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग का आदेश, एक नौसेना में एक पक्ष को जोड़ता है।

मुकदमा, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के तहत अपील योग्य है, जिसे नौसेना अधिनियम की धारा 14 के साथ पढ़ा जाता है।

63. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1ए) का प्रावधान 2 उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग से अंतर-न्यायालय अपीलों को प्रतिबंधित करता है। अपने वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग को न्यायालय, केवल वाणिज्यिक प्रभाग के उन आदेशों के लिए, जो विशेष रूप से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37 द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 43 के तहत गिने जाते हैं।

64. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम सी. पी. सी. के आदेश 43 नियम 1 में संशोधन नहीं करता है जो प्रदान करता हैः

" 1. आदेशों से अपील। — से एक अपील होगी

धारा 104 के प्रावधानों के तहत आदेशों का पालन करते हुए,

अर्थात्ः

आदेश VII के नियम 10 के तहत शिकायत वापस करने का आदेश

(अ)

जहां आदेश VII के नियम 10-ए में निर्दिष्ट प्रक्रिया को छोड़ दिया गया है, उन्हें उचित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

पीछा किया;

(ख)

10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आदेश IX के नियम 9 के तहत एक आदेश

((ग)

आदेश के लिए आवेदन (अपील के लिए खुले मामले में)

एक मुकदमे की बर्खास्तगी को अलग रखें;

आदेश IX के नियम 13 के तहत एक आदेश

((घ)

आदेश के लिए आवेदन (अपील के लिए खुले मामले में)

एकतरफा पारित डिक्री को दरकिनार कर दें;

(ई)

* * *

आदेश XI के नियम 21 के तहत एक आदेश;

( )

* * *

(जी)

(ज)

एक आपत्ति पर आदेश XXI के नियम 34 के तहत एक आदेश

((i)

किसी दस्तावेज़ के मसौदे या समर्थन के लिए;

आदेश XXI के नियम 72 या नियम 92 के तहत एक आदेश

(1)

एक तरफ या एक अलग बिक्री रखने से इनकार करना;

(जे. ए.) उप-नियम के तहत किए गए आवेदन को अस्वीकार करने वाला आदेश

(1) आदेश XXI के नियम 106 का प्रावधान है कि मूल आवेदन पर एक आदेश, अर्थात उस आदेश के नियम 105 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन

अपील योग्य; आदेश XXII के नियम 9 के तहत एक आदेश जो निर्धारित करने से इनकार करता है

(के)

मुक़दमे को कम करने या ख़ारिज करने के अलावा; आदेश XXII के नियम 10 के तहत एक आदेश देना या अस्वीकार करना

(1)

छुट्टी देने के लिए;

(एम)

आदेश XXV के नियम 2 के तहत एक आदेश को अस्वीकार करते हुए

(एन)

किसी वाद को खारिज करने के आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन (अपील के लिए खुले मामले में);

(ना) आदेश XXXIII के नियम 5 या नियम 7 के तहत एक आदेश के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करना

गरीब व्यक्ति;

(0)

(पी) मध्यस्थ में आदेश-नियम 3, नियम 4 या नियम के तहत मुकदमा

6 ऑर्डर XXXV का; वेसल एम. वी. पोलारिस गैलेक्सी बनाम में रुचि रखने वाले मालिक और दल। बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

आदेश के नियम 2, नियम 3 या नियम 6 के तहत एक आदेश

(जी)

XXXVIII;

(आर)

नियम 1, नियम 2, [नियम 2-ए], नियम 4 के तहत एक आदेश या आदेश XXXIX का नियम 10;

आदेश XL के नियम 1 या नियम 4 के तहत एक आदेश;

(एस)

आदेश XLI के नियम 19 के तहत इनकार का आदेश

(टी)

या आदेश XLI के नियम 21 के तहत रिहर्सल करने के लिए, एक

अपील;

(यू)

आदेश XLI के नियम 23 [या नियम 23-A] के तहत एक आदेश

एक मामले को रिमांड करना, जहां से एक अपील होगी

अपीलीय न्यायालय की डिक्री;

[***]

(v)

आदेश XLVII के नियम 4 के तहत एक आदेश

(डब्ल्यू)

समीक्षा के लिए आवेदन।

65. धारा 13 की उप-धारा (2) एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है जो उक्त धारा को पत्रों सहित अन्य सभी कानूनों पर हावी करती है।

उच्च न्यायालय का पेटेंट। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के अलावा किसी वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी भी आदेश से कोई अपील नहीं की जाएगी।

तत्काल प्रभाव से लागू अन्य कानून में उच्च न्यायालय की एकल पीठ के किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। नौसेना अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ को।

67. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 और नौसेना अधिनियम की धारा 14 दोनों में गैर-अवरोधक खंड हैं जो धाराओं को प्रबल प्रभाव देते हैं। जबकि नौसेना अधिनियम की धारा 14, जो एक गैर-अवरोधक खंड के साथ शुरू होती है, जैसा कि देखा गया है, यह प्रावधान करती है कि कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में निहित होने के बावजूद, किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश के तहत अपील होगी।

एडमिरल्टी एक्ट, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश से लेकर डिवीजन बेंच तक

उच्च न्यायालय की, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (2) में कहा गया है कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट में कुछ भी निहित होने के बावजूद, [2022] 10 एस. सी. आर. से कोई अपील नहीं होगी।

वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय का कोई आदेश या डिक्री वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, परंतुक वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत एक अपील को ऐसे आदेशों तक सीमित करता है जो विशेष रूप से सी. पी. सी. के आदेश 43 में उल्लिखित हैं।

68. "कुछ भी निहित होने के बावजूद" शब्दों के साथ एक खंड

उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में "आम तौर पर किसी धारा की शुरुआत में इस दृष्टि से जोड़ा जाता है कि किसी अन्य विधि के साथ टकराव के मामले में धारा के अधिनियमित हिस्से को प्रबल प्रभाव दिया जाए। आम तौर पर, जब दो या दो से अधिक क़ानूनों में वैधानिक प्रावधान होते हैं जो खंड से शुरू होते हैं "कुछ समय के लिए किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद" और उन क़ानूनों में परस्पर विरोधी प्रावधान होते हैं, तो एक सवाल जो उत्पन्न हो सकता है, वह यह है कि कौन सा क़ानून प्रबल होगा। सामान्य तौर पर,

विशेष क़ानून सामान्य क़ानूनों पर हावी होते हैं। यदि दोनों कानून सामान्य कानून या समान या समान गैर-स्थायी वाले विशेष कानून हैं। खंड, बाद का क़ानून प्रबल होगा।

69. यह नियम कि बाद के क़ानून में एक गैर-अड़चन खंड पहले के क़ानून में गैर-अड़चन खंड पर प्रबल है, एक पूर्ण नियम नहीं है। यह प्रश्न कि कौन सा प्रावधान प्रचलित है, अनिवार्य रूप से अधिनियम के उद्देश्य और विशेष रूप से, अधिनियम या उसके किसी विशिष्ट प्रावधान को प्रबल प्रभाव देने के उद्देश्य पर निर्भर करेगा।

70. जब एक ही क्षेत्र में काम करने वाले दो या दो से अधिक अधिनियमों में एक अबाधित खंड होता है जिसमें कहा गया है कि इसके प्रावधान किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे, तो संघर्ष को अधिनियमों में अंतर्निहित उद्देश्य और नीति पर विचार करने पर हल किया जाना चाहिए। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विश्वनाथन ने तर्क दिया कि धारा 14 नौसेना अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश से अपील का प्रावधान करती है जिसका अर्थ है किसी कार्रवाई के संबंध में एक अंतरिम आदेश। एक बार जब पोत का मालिक पेश होता है और अधिकार क्षेत्र को प्रस्तुत करता है और पोत की रिहाई के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, तो नौसेना कार्रवाई व्यक्तिगत रूप से एक कार्रवाई के रूप में मुकदमे के लिए आगे बढ़ती है।

दूसरा सूट। इस दृष्टिकोण को एम. वी. एलिजाबेथ बनाम में इस अदालत के फैसले से समर्थन मिलता है। हरवन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड Ltd.[2]

71. वाणिज्यिक न्यायालय विधेयक, 2015 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इंगित करता है कि वाणिज्यिक न्यायालय विधेयक का पालन किया गया

2 1993 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 433 मालिकों और दलों ने वेसल एम. वी. पोलरिस गैलेक्सी बनाम में रुचि दिखाई। बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

"(क) उच्च मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटान के लिए प्रावधान करने के प्रस्ताव" से, जिसमें "जटिल तथ्य और कानून के प्रश्न (ओं) शामिल हैं"। वक्तव्य में कहा गया है कि "वाणिज्यिक विवादों का शीघ्र समाधान निवेशक जगत के लिए स्वतंत्र और स्वतंत्र निवेश के बारे में एक सकारात्मक छवि बनाएगा।

उत्तरदायी भारतीय कानूनी प्रणाली "। वक्तव्य में कहा गया है कि "प्रस्तावित विधेयक आर्थिक विकास को गति देगा, भारतीय न्याय वितरण प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय छवि में सुधार करेगा और राष्ट्र की कानूनी संस्कृति में निवेशक दुनिया का विश्वास बढ़ेगा"।

72. द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स फॉर द एडमिरल्टी (ज्यूरिसडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम) बिल, 2016 में कहा गया है कि यह बिल "अदालतों के एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार के दीवानी मामलों, समुद्री दावों पर एडमिरल्टी कार्यवाही, जहाजों की गिरफ्तारी और संबंधित मुद्दों पर मौजूदा ब्रिटिश युग के कानूनों को समेकित करता है, जो समुद्री क्षेत्र में आधुनिक रुझानों के अनुरूप है और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ एकरूपता में है।" नौसेना विधेयक "चिन्हित समुद्री दावों के निर्णय का प्रावधान करता है।

और, समुद्री दावों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कुछ क्षेत्रों में जहाजों की गिरफ्तारी

परिस्थितियाँ "। विधेयक में समुद्री ग्रहणाधिकार पर प्राथमिकता का भी प्रावधान है। उद्देश्यों और कारणों का विवरण दोहराता है कि सी. पी. सी. उन पहलुओं के संबंध में लागू होगा जिन पर विधेयक में प्रावधान नहीं हैं। यह विधेयक व्यक्तिगत रूप से नौसेना के अधिकार क्षेत्र से भी संबंधित है।

और समुद्री दावों की प्राथमिकता का क्रम।

73. नौसेना और समुद्री कानून से संबंधित मुद्दों से उत्पन्न होने वाला विवाद एक वाणिज्यिक विवाद है जिसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) (iii) में परिभाषित किया गया है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13, जो अपील के दायरे को प्रतिबंधित करती है, की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा कांडला निगम बनाम में की गई है। ओ. सी. आई. कार्पोरेशन 3, इसका अर्थ यह है कि जिन आदेशों की सी. पी. सी. के आदेश XLIII के तहत विशेष रूप से गणना नहीं की गई है, वे अपील योग्य नहीं होंगे।

74. इस न्यायालय ने कहाः

" 14. परंतुक में आगे कहा गया है कि उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा पारित ऐसे आदेशों के खिलाफ अपील की जाएगी।

न्यायालय जो विशेष रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के आदेश XLIII के तहत गिने जाते हैं। यह तुरंत ध्यान दिया जाएगा कि आदेश जो हैं

सी. पी. सी. के आदेश XLIII के तहत विशेष रूप से गणना नहीं की गई इसलिए, अपील योग्य नहीं होगी, और ऐसी अपीलें जो हैं

3 3 (2018) 14 एससीसी 715 [2022] 10 एस. सी. आर.

केवल मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 में उल्लिखित हैं -

वाणिज्यिक अपीलीय को की जा सकने वाली अपीलें

उच्च न्यायालय का विभाजन '।

75. श्री विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि, के दायरे पर विचार करते हुए

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, मद्रास उच्च न्यायालय ने जारी किया है अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2018 की अधिसूचना संख्या 48, जो वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के संबंध में एक अभ्यास नोट है। अधिसूचना में कहा गया है "यदि निर्णय

सी. पी. सी. के आदेश XLIII [2016 के अधिनियम 4 की धारा 13 के प्रावधान] के तहत आदेश। उपरोक्त के अलावा, भले ही उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के तहत या किसी कानून के तहत अपील का प्रावधान हो, कोई अपील नहीं वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय [2016 के अधिनियम 4 की धारा 13 (2)] के आदेश या डिक्री के खिलाफ होगा। संयोग से यह अधिसूचना हममें से एक (इंदिरा बनर्जी, जे.) द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जारी की गई थी।

76. मैजिक फ्रेम्स v. श्री विश्वनाथन द्वारा भरोसा किए जाने पर, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ धारा 13 (1ए) के तहत एक मूल पक्ष की अपील विचारणीय नहीं थी, प्रतिवादी मैजिक फ्रेम्स द्वारा संक्षिप्त निर्णय के लिए दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए, वाणिज्यिक मुकदमे को खारिज करने की मांग की।

वादी, रेडियंस मीडिया द्वारा दायर किया गया। फैसले के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

" 24. इसके अलावा, इस न्यायालय की 2018 की अधिसूचना No.48 के अनुसार, उच्च न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम 4) की वाणिज्यिक अदालतों, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, माननीय। मुख्य न्यायाधीश उसमें और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के संबंध में अभ्यास नोट जारी करने के लिए प्रसन्न हैं,

इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है:

II. वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग:

वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग का अधिकार क्षेत्र:

1) वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग की अधिकारिता 2016 के अधिनियम 4 के तीन प्रावधानों में निर्धारित की गई है, अर्थात धारा 9 (2), धारा 13

और धारा 15 (5)।

42019 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 38929 मालिकों और दलों ने वेसेल एम. वी. पोलरिस गैलेक्सी बनाम में रुचि दिखाई। बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

2) वाणिज्यिक विवाद से संबंधित मुकदमों में (जहां दायर किए जाने पर वाद का मूल्य निर्दिष्ट मूल्य का नहीं होता है) प्रतिवादी द्वारा 'निर्दिष्ट मूल्य' के जवाबी दावे की स्थिति में) प्रतिवादी द्वारा निर्दिष्ट मूल्य के जवाबी दावे की स्थिति में, ऐसा मुकदमा वाणिज्यिक अदालत या वाणिज्यिक प्रभाग को हस्तांतरित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो (2016 के अधिनियम 4 की धारा 9 (1))। यदि इस तरह का मुकदमा स्थानांतरित नहीं किया जाता है, तो मुकदमे के किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन पर, वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग

इस तरह के मुकदमों को नियमित से वापस ले सकते हैं।

25. इसलिए, उपरोक्त अधिसूचना से, यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) में संशोधन का अपील के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसे अधिनियम के आदेश 43 के तहत सीमित होने के व्यवहार निर्देशों में स्पष्ट किया गया था।

सी. पी. सी. और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37, यदि इसका कोई प्रभाव पड़ता, तो अभ्यास निर्देश होते

इसमें भी संशोधन किया गया है जो अदालत ने आज तक नहीं किया है।

77. मैजिक फ्रेम्स (उपरोक्त) में निर्णय, संक्षिप्त निर्णय के लिए एक आवेदन को खारिज करने के संदर्भ में, इस मामले में आकर्षित नहीं है, भले ही यह निष्कर्ष कि संक्षिप्त निर्णय के लिए एक आवेदन को खारिज करने वाला आदेश अपील योग्य नहीं है, सही है। हालांकि, एक अधिसूचना अभ्यास निर्देश देना किसी वैधानिक अधिनियम के दायरे को न तो प्रतिबंधित कर सकता है और न ही विस्तारित कर सकता है।

78. नौसेना अधिनियम और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से संबंधित नौसेना अधिनियम के तहत पारित आदेश ही एकमात्र ऐसे आदेश हैं जो नौसेना अधिनियम की धारा 14 के तहत अपील योग्य हैं, जबकि किसी मुकदमे के मुकदमे में पारित आदेश और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के तहत किए गए आवेदन नौसेना अधिनियम के तहत आदेश नहीं हैं, बल्कि सी. पी. सी. के तहत आदेश हैं जो -

अपील केवल तभी की जा सकती है जब वे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 में दिए गए सी. पी. सी. के आदेश 43 के तहत आते हैं।

इस न्यायालय की संविधान पीठ ने परस्पर विरोधी गैर-अबाधित खंडों और दोनों कानूनों के प्रावधानों के बीच असंगति के विषय पर कानून पर विचार करने के बाद पैराग्राफ 61 में कहा कि "सिद्धांत 5 (1990) 4 एससीसी 406 [2022] 10 एस. सी. आर.

उसमें प्रासंगिक प्रावधानों की भाषा द्वारा व्यक्त किया गया इरादा। 80. यह मानते हुए भी कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों को अपील से संबंधित सामान्य प्रावधान माना जाता है, जबकि नौसेना अधिनियम के प्रावधानों को अपील के लिए विशेष प्रावधान माना जाता है, तब भी मैक्सिम जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट, जो आमतौर पर किसी विशेष और सामान्य क़ानून के बीच संघर्ष होने पर आकर्षित होता है, लागू नहीं होगा। यदि सामान्य अधिनियम के विचार से, स्वीकार्य परिस्थितियों के आलोक में, यह प्रतीत होता है कि संसद का वास्तविक इरादा इसके द्वारा एक सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम स्थापित करना था, तो विशेष प्रावधान को सामान्य को रास्ता देना चाहिए। सीटीओ बनाम बिनानी सीमेंट्स में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 34. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब एक सामान्य कानून और सामान्य कानून द्वारा निपटाए गए किसी पहलू से निपटने वाला एक विशेष कानून प्रश्न में होता है, तो अपनाया गया और लागू किया गया नियम सामंजस्यपूर्ण निर्माण का होता है, जिसके द्वारा सामान्य कानून, विशेष कानून द्वारा निपटाई गई सीमा तक, निहित रूप से निरस्त हो जाता है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति लैटिन मैक्सिम ऑफ जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन एलिमेंटेंट में पाई जाती है, यानी, सामान्य कानून विशेष कानून के लिए उपज देता है यदि वे एक ही विषय पर एक ही क्षेत्र में काम करते हैं। (वेपा पी. सारथी, क़ानूनों की व्याख्या, 5 वीं संस्करण। , ईस्टर्न बुक कंपनी; एन. एस. बिंद्रा की क़ानूनों की व्याख्या, 8 वां संस्करण। , द लॉ बुक कंपनी; क़ानून पर क्रेज़,

S.G.G.Edkar, 7 वां संस्करण। , स्वीट और मैक्सवेल; न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत, 13 वीं संस्करण। , लेक्सिसनेक्सिस; क्रेज़ ऑन लेजिस्लेशन, डैनियल ग्रीनबर्ग, 9 वां संस्करण। , थॉमसन स्वीट और मैक्सवेल, क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल, 12 वीं संस्करण। , लेक्सिस नेक्सिस)

35. आम तौर पर, इस सिद्धांत का व्यापक अनुप्रयोग पाया गया है

दो क़ानून होने के मामले: सामान्य या विशिष्ट के साथ उत्तरार्द्ध सामान्य विषय को पूर्व की तुलना में अधिक विशेष रूप से या सूक्ष्मता से मानता है। कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम, 82 सी. जे. एस. क़ानून §482 में कहा गया है कि जब एक सामान्य और एक

6 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 140 वी. एन. ई. आर. एस. और वेसल एम. वी. पोलारिस एक्सिस वी. में शामिल पार्टियां। बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

एक ही विषय से संबंधित विशिष्ट क़ानून, क़ानूनों को एक दूसरे के अनुरूप मानना आवश्यक है और इसलिए यदि संभव हो तो ऐसे क़ानूनों को एक सुसंगत विधायी नीति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सुसंगत बनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, जहां एक ही विषय वस्तु से संबंधित एक सामान्य क़ानून और एक विशिष्ट क़ानून का मिलान नहीं किया जा सकता है, विशेष या विशिष्ट क़ानून सामान्य रूप से नियंत्रित करेगा। द.

इस मुद्दे पर अधिक विशेष रूप से निर्देशित प्रावधान प्रावधान के अपवाद या योग्यता के रूप में प्रचलित है जो प्रकृति में अधिक सामान्य है, बशर्ते कि विशिष्ट या विशेष क़ानून में स्पष्ट रूप से विवाद में मामला शामिल हो। (एडमंड वी. यू. एस., 520 यू. एस. 651, वार्डन बनाम मारेरो, 417 यू. एस. 653)

36. चतुर्थ संस्करण के खंड 44 (1) में मैक्सिम जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन एलिमेंटेंट पर चर्चा की गई है। पैराग्राफ 1300 में इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानून इस प्रकार हैं:

" यह सिद्धांत सीवार्ड बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णयों से स्पष्ट रूप से उतरता है। "द वेरा क्रूज़" के मालिक, (1884) 10 ऐप गैस 59 और बार्कर बनाम एडगर में प्रिवी काउंसिल, (1898) एसी 748 और कई लोगों पर इसकी पुष्टि और प्रभाव डाला गया है।

मौकों पर। यदि संसद ने सभी पर विचार किया है की परिस्थितियाँ, और एक विशेष के लिए विशेष प्रावधान किया गया

मामले में, यह धारणा है कि विशुद्ध रूप से सामान्य चरित्र के बाद के अधिनियमन का इरादा नहीं था

उस प्रावधान में हस्तक्षेप करना; और इसलिए, यदि ऐसा

अधिनियम, यद्यपि सार में असंगत है, प्रश्नगत मामले तक विस्तारित किए बिना उचित और विवेकपूर्ण अनुप्रयोग करने में सक्षम है, लेकिन प्रथम दृष्टया इसका यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि यह इतना विस्तारित नहीं है। विशेष प्रावधान सामान्य पर एक असाधारण परंतुक के रूप में खड़ा है। यदि, तथापि, यह एक से प्रकट होता है

के आलोक में सामान्य अधिनियम पर विचार करना

स्वीकार्य परिस्थितियों में कि संसद का वास्तविक इरादा सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम को स्थापित करना था, तो विशेष प्रावधान को सामान्य को रास्ता देना चाहिए। ”

81. यदि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसा आदेश जो सी. पी. सी. के आदेश XLIII के तहत नहीं आता है, अपील योग्य माना जाता है, तो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा। एडमिरल्टी सूट [2022] 10 एस. सी. आर. के मुकदमे के दौरान बहुत ही एकल आदेश पारित किया गया।

अधिनियम की धारा 14 के तहत अपील की जाएगी। इस तरह के आदेश बड़ी संख्या में होंगे जिनमें खोज, निरीक्षण, मामले प्रबंधन सुनवाई, साक्ष्य की स्वीकार्यता, मुद्दों को तैयार करने के संबंध में आदेश शामिल हैं। पूछताछ आदि। यह वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम को लागू करने में संसद के इच्छित उद्देश्य का मजाक बनाएगा, जो एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक मुकदमों में मुकदमे में तेजी लाने और अंतर्वर्ती अपीलों की संख्या को सीमित करने के लिए है।

82. इस न्यायालय का विचार है कि एक पक्ष को जोड़ने का आदेश

सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत नौसेना अधिनियम की धारा 14 के तहत अपील योग्य नहीं है। गल्फ पेट्रोकेम विवाद और वाद लेन-देन और वहन अनुबंध (लेडिंग बिल) का एक पक्ष है और इसलिए एक आवश्यक पक्ष है। गल्फ पेट्रोकेम भी एक उचित पक्ष है जिसकी उपस्थिति प्रश्नों पर पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक है। सूट। अनिल कुमार सिंह बनाम शिवनाथ मिश्रा के मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 10. एक व्यक्ति को मुकदमे में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जा सकता है।

हालाँकि उसके खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया जा सकता है बशर्ते कि

मुकदमे में शामिल प्रश्न पर पूर्ण और अंतिम निर्णय के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति केवल एक उचित पार्टी है जो एक आवश्यक पार्टी से अलग है।

83. अभियोग [पृष्ठ 264] के पैराग्राफ 10 से 12 में दलीलें जो पृष्ठ 11-13 पर विवादित निर्णय में निकाली गई हैं। यह प्रदर्शित करें कि गल्फ पेट्रोकेम एक उचित और आवश्यक पक्ष है

यद्यपि प्रत्यर्थी वर्तमान वाद में उनके विरुद्ध किसी भी राहत का दावा नहीं करने का विकल्प चुन सकता है।

84. नौसेना अधिनियम की धारा 14, जैसा कि तर्क दिया गया है

श्री विश्वनाथन, नौसेना अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के किसी भी निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या अंतरिम आदेश से उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ को अपील करने के लिए मंच प्रदान करते हैं। "कोई भी अंतरिम आदेश" शब्द को ऊपर निर्दिष्ट वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के साथ पठित नौसेना अधिनियम की धारा 12 को ध्यान में रखते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43, नियम 1 के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

85. नौसेना अधिनियम की धारा 12 को निरस्त करना धारा 14 के प्रबल प्रावधान का इरादा नहीं है। नौसेना अधिनियम की धारा 12

यह उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों पर लागू होता है, चाहे वे मूल कार्यवाहियां हों या अपीलीय कार्यवाहियां।

7 (1995) 3 एस. सी. सी. 147 मालिकों और दलों ने वेसल एम. वी. पोलरिस गैलेक्सी बनाम में रुचि दिखाई। बैंक कैंटोनेल डी जेनेव [इंडिराबनेरजी, जे.]

86. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के साथ नौसेना अधिनियम की धारा 12 और 14 के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन पर, एक अंतर-अदालत अपील उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के लिए नौसेना अधिनियम के तहत नौसेना अधिनियम के तहत किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश या नौसेना अधिनियम के तहत एक अंतरिम आदेश आदेश 43, नियम 1 में निर्दिष्ट आदेशों से संबंधित होगा।

87. हम श्री बरुचा के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि नौसेना अधिनियम, 2017 की धारा 12 के साथ पठित धारा 14 दर्शाती है।

नौसेना अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किसी भी अंतरिम आदेश से बिना किसी प्रतिबंध या सीमा के उस उच्च न्यायालय की खंड पीठ को अपील करने की अनुमति देने का विधायी इरादा। नौसेना अधिनियम के तहत आदेशों के संबंध में उन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों में श्री बरुचा द्वारा निर्दिष्ट उच्च न्यायालयों के निर्णयों को नौसेना अधिनियम की धारा 14 के तहत विशेष रूप से अपील योग्य बनाया गया है। विशेष अनुमति याचिका को केवल खारिज करना सर्वोच्च न्यायालय की मिसाल के रूप में काम नहीं करता है।

88. संभवतः सभी अंतरिम आदेशों को अपील योग्य बनाना नौसेना अधिनियम का विधायी इरादा नहीं हो सकता था। इतनी चौड़ी "अंतरिम आदेश" अभिव्यक्ति की व्याख्या का अर्थ यह होगा कि कोई भी पक्ष शपथ पत्र आदि के लिए असंगत आदेशों से भी अपील दायर करके मुकदमे और अंतिम निपटान में देरी करने में सक्षम होगा। इसलिए, हम मानते हैं कि नौसेना अधिनियम द्वारा शासित नौसेना के मुकदमे में किसी पक्ष को जोड़ने के लिए उसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग (एकल पीठ) के आदेश से उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में अपील नहीं की जाती है।

89. अन्यथा भी, हमारा विचार है कि डिवीजन बेंच ने वाणिज्यिक के आदेश से अपील को अनुमति देने में कानूनी रूप से गलती की है।

डिवीजन (एकल न्यायाधीश) ने गल्फ पेट्रोलियम को मुकदमे में पक्षकार प्रतिवादी के रूप में जोड़ा। 90. ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, अपील की अनुमति है। डिवीजन बेंच के विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे (सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)